न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.
पैरोल अपील सं0 02/2022 जितेन्द्र उर्फ जीतू बनाम राज0 सरकार जरिये
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

निर्णय

दिनांक 01 .11.2022

उपस्थिति– श्रीमती लक्ष्मी रामावत, वकील अपीलाण्ट
रेस्पो0 की ओर से श्री हुकमसिंह गहलोत, सहा.लोक अभियोजक

वकील अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 18 राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 2021 के तहत विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.2022 अध्यक्ष, जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के द्वारा बंदी जितेन्द्र उर्फ जीतु पुत्र श्री ताराचन्द हरिजन निवासी बिसलपुर, पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली, हाल केन्द्रीय कारागृह जोधपुर को 07 दिवस की नियमित पैरोल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2022 को अस्वीकृत करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

दौरान सुनवाई वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप यह निवेदन किया गया कि बंदी अपराध अन्तर्गत धारा 302/149, 307, 323, 341, 147, 148 भादसं आजीवन कारावास की सजा विगत 13 वर्षो से केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में भुगत रहा है। अपीलार्थी पूर्व स्वीकृत पैरोल में फरार हो गया था, तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर में डीबी क्रिमीनल रिट याचिका संख्या 354/2020 प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को 1 वर्ष 6 माह के बाद अच्छा आचरण होने पर रिट प्रस्तुत करने के आदेश दिनांक 9.12.2020 के उपरांत अपीलार्थी द्वारा लगभग 2 वर्ष पश्चात 07 दिवस के सामान्य पैरोल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन अपीलार्थी के खतरनाक प्रवृत्ति एवं पुनः फरार होने की सम्भावना के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार बंदी का आचरण संतोषप्रद है, अतः राज. बंदी पैरोल रिहाई नियम 2021 के उप नियम 20ए के तहत बंदी को 07 दिवस का सामान्य पैरोल पर समाज में पुनः स्थापित होने हेतु सशर्त/उचित जमानत एवं मुचलके पर रिहा करने का आग्रह किया गया।

जवाब में प्रत्यर्थीगण की ओर सहायक लोक अभियोजक, जोधपुर द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक पाली की रिपोर्ट के अनुसार बंदी जिले का हार्डकोर अपराधी है एवं पुलिस थाना

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

सुमेरपुर का हिस्ट्रीशीट होकर बदमाश, झगडालू, चोरी करने का आदतन अपराधी है। बंदी के विरूद्ध 10 प्रकरण पंजीबद्ध है। बंदी का अपने गांव बीसलपुर तथा आस–पास के गांव में आंतक है। इसके अलावा बंदी बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति का होने से पैरोल से पुनः फरार होने की संभावना है व इससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पडने के कारण पैरोल पर रिहा करना उचित नही है। समाज कल्याण अधिकारी पाली की रिपोर्ट में भी बंदी को पूर्व में पैरोल के दौरान फरार हो जाने से आवेदित पैरोल पर रिहा करना उचित नही होना बताया गया। अतः उक्त अपील खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया तथा बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति जोधपुर के समक्ष प्रार्थी के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक पाली एवं समाज कल्याण अधिकारी पाली की रिपोर्ट बंदी के सद्आचरण के विरूद्ध बतलायी गई है व इन रिपोर्ट्स के अनुसार उक्त बंदी बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति का होने तथा पैरोल से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पडने व पुनः फरार होने की संभावना के दृष्टिगत बंदी द्वारा आवेदित पैरोल अस्वीकृत किया गया, जो अहस्तक्षेपनीय है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से, तदनुसार खारीज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 01 नवम्बर 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ कार्यालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

01/11/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर